मोनो
बीज संघ

उपनियम

म0प्र0 राज्य सहकारी बीज उत्पादक एंव विपणन संघ मर्यादित, भोपाल

म0प्र0 राज्य सहकारी बीज उत्पादक एंव विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

नाम पता एंव कार्य क्षेत्र

1. नाम – इस संघ का नाम " मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एंव विपणन संघ मर्यादित " है । इसका अग्रेजी पर्याय (Madhya Pradesh State Co-operative Seed Production And Marketing Fedration Limited) है । इसे संक्षिप्त में " बीज संघ " (Seedfed) के नाम से भी जाना जायेगा ।

पता – संघ का पंजीयत कार्यालय 1, अरेरा हिल्स, भोपाल में होगा ।

कार्यक्षेत्र – संघ का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा ।

परिभाषाऐं

2. इन उप नियमों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :–

1. 'अधिनियम' से तात्पर्य म0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1960 { क0 17, 1961} से है ।
2. 'मंडल' से अभिप्रेत है धारा 48 के अन्तर्गत गठित संचालक मंडल ।
3. 'पंजीयक' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाईटियों का रजिस्ट्रार ।
4. 'नियम' से तात्पर्य म0प्र0 सहकारी समितियां नियम 1962 से है ।
5. 'संघ' से तात्पर्य ' म0प्र0 राज्य सहकारी बीज उत्पादक एंव विपणन संघ मर्यादित से है । इसे संक्षिप्त में " बीज संघ " (Seedfed) के नाम से भी जाना जायेगा ।
6. 'सदस्य सोसायटी' से तात्पर्य उन सहकारी समितियों से है जो कि इस संघ के सदस्य है ।
7. 'प्रतिनिधि' से अभिप्रेत है किसी सोसायटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करें।
8. 'विर्निदिष्ट पद' से तात्पर्य संघ के अध्यक्ष से है ।
9. 'प्रमाणीकरण संस्था' से तात्पर्य म0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से है ।
10. 'मुख्य कार्यपालक' से तात्पर्य संघ के प्रबंध संचालक से है जो समिति संचालक मंडल के अधीक्षण , नियंत्रण और निर्देशन के अध्याधीन रहते हुए अधिनियम, नियम एवं उपविधि द्वारा जो कार्य–कलाप सौंपे गये हैं, उनके कियान्वयन हेतु कार्य करेगा ।

11. 'अन्य पिछडे वर्ग' से अभिप्रेत है ऐसे पिछडे वर्गो व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

12. प्रसंगानुकूल अन्य सभी परिभाषित शब्द सहकारी सोसायटी अधिनियम और नियमों में की गई परिभाषाओं का अर्थ धारण करेंगें ।

उद्देश्य

3. प्रदेश में कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा उत्तम गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषकों को लाभदायी/अधिक उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने हेतु प्रेरित करना, ऐसे उत्पादित बीजों के विपणन की व्यवस्था करना तथा ऐसे बीज उत्पादन हेतु कृषकों को तकनीकी एवं अन्य परामर्श/प्रशिक्षण/सहायता प्रदान करना संघ का प्रमुख कार्य होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संघ निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :–

1. समस्त फसलों की बीज उत्पादन तथा प्रति एकड भूमि में बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु आवश्यक कार्यकम प्रारंभ करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी सदस्य संस्थाओं एंव उनके सदस्यों को आवश्यक मार्गदर्शन एंव सहायता देना ।
2. बीज उत्पादक सहकारी संस्था के माध्यम से समस्त फसलों के बीजों के लाभदायी उत्पादन,विकय एंव विपणन हेतु सुविधाऐ उपलब्ध कराना ।
3. प्राथमिक समितियों के माध्यम से कृषकों को लाभदायी/अधिक उत्पादन वाले आधार/प्रमाणिक बीजें के उत्पादन हेतु प्रजनक/आधार/प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराना ।
4. उन्नत किस्म की फसलों के रख–रखाव, उनके उत्पादन की किस्म एंव मात्रा में सुधार एंव वृद्धि करने के लिए समस्त आवश्यक कृषि विस्तार कार्यकमों विशेषकर उन्नत बीजों के उत्पादन से संबंधित कार्यकमों को कार्यन्वित करना ।
5. फसलों के उन्नत बीजों के उत्पादन में वृद्धि हेतु खाद, बीज, कीटनाशक दवाऐं एंव अन्य संबंधित सेवाएं/ सुविधाऐं की उपलब्धि एंव पूर्ति हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही करना
6. बीजों के वैज्ञानिक रुप से प्रमाणीकरण के लिए स्वंय के प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना/अन्य प्रमाणीकरण संस्थाओं से सहयोग लेना ।
7. बीजों के पैंकिग/ग्रेडिग आदि की संयंत्रों की स्थापना करना, किराये पर लेना तथा सदस्य समितियों को इसके लिए मार्गदर्शन देना ।
8. बीजों के उत्पादन को बढावा देने के लिए शासन के साथ सामंजस्य/सहयोग करना । शासन से इस हेतु आर्थिक सहायता/ अनुदान प्राप्त करना ।
9. बीजों के उत्पादन को बढावा देने के लिए संविदा खेती को प्रोत्साहित करना इस हेतु सदस्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना ।

10. बीजों का एंव उनके उत्पादन हेतु आवश्यक वस्तुओं का आयात–निर्यात करना ।

11. बीजों के संग्रहण हेतु गोदामों का निर्माण करना/किराये पर लेना/पट्टे पर लेना/देना ।

12. किसी अन्य संस्था की सदस्यता लेना जो संघ के कार्यव्यवसाय में सहायक हो ।

13. बीजों का अन्तर्राज्जीय आयात तथा निर्यात का व्यापार करना जो संघ के लिए वांछनीय एंव हितकर हो ।

14. संघ के सदस्यों, गैर सदस्यों, गैर सदस्य सहकारी समितियों, किसी भी सरकार के उपकम, शासन तथा निजी उत्पादकों एंव निर्माताओं या प्रदायकों के साथ किसी विशेष कारोबार के लिए जिसमें ओद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता समिम्लित है, में सहयोग करना तथा अन्य प्रकार का व्यवसाय बतौर एजेन्ट, संयुक्त भागीदारी में या म0प्र0 शासन द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न बीज उत्पादक ठेके प्राप्त करना या अन्य प्रकार से करना ।

15. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, शासन, सदस्यों अथवा अन्य पक्षों से भागीदारी या इकरारनामा संपादन करना ।

16. बीज के सहकारी विपणन को प्रोत्साहन हेतु सदस्यों को मंडल द्वारा निर्धारित की गई शर्तो या प्रतिभूति पर नगद अथवा वस्तुओं के रुप में ऋण या अग्रिम प्रदान करना ।

17. किसी भी अन्य सहकारी संस्था, के अंश धारण करना या कय करना।

18. संघ की पूंजी का विनियोजन, शासकीय सेविंग्स बैंको में अथवा किन्ही अन्य प्रतिभूतियों में जिनका की उल्लख है इडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 { नंवबर 2, 1882 } की धारा 20 में हो अथवा अन्य प्रकार से करना जैसा की अधिनियम तथा अधिनियम के अन्तर्गत नियम में प्रावधान हो ।

19. सहकारी बैंको, राज्य सहकारी बैंको, रिर्जव बैंक आफॅ इंडिया, राज्य में कार्य कर रही किसी विधि अधीन बैंक, वित्तीय निकायों नियमित निकायों और व्यक्तियों से प्रतिभूति पर या निरपेक्ष प्राप्त कर या अन्य प्रकार से ऋण प्राप्त करना । इसके अतिरिक्त नाम मात्र के सदस्यों से विशिष्ट परियोजना हेतु अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूजी के रुप में निधि एकत्रित की जा सकेगी ।

20. संचालक मंडल की स्वीकृति से सदस्यों, सदस्य संस्थाओं एंव सदस्यों से जमानत प्राप्त करना ।

21. राज्य शासन से तथा मंडल की स्वीकृति से अन्य पक्षों से अनुदान एंव दान स्वीकार करना ।

22. किसी भी चल या अचल संपत्ति को, कय कर, पट्टे पर लेकर अनुशक्ति { लायसेन्स} द्वारा, बंधक द्वारा, विनिमय द्वारा किराये पर देकर, भाटक कय द्वारा अथवा ऋण दावे और वैध कार्यवाहियों / समझौते द्वारा या अन्य किसी प्रकार से स्वामित्व में लेना, अर्जित करना ।

23. किसी भी चल या अचल संपत्ति को, विक्रय कर पट्टे पर देकर बंधक द्वारा विनिमय द्वारा, किराये पर देकर, भाटक क्रय द्वारा अथवा ऋण दावे और वैध, कार्यवाहियों के समझौता द्वारा या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित करना ।

24. सदस्य संस्थाओं के लिए संवर्ग कर्मचारी उपलब्ध करना तथा सहकारी संगठन, व्यावसायिक प्रबंधन (कारोबारी सेवाऐं) हाथ में लेना, विपणन एंव ऐसे समस्त विषयों के लिए जिसे की सहकारी अंदोलन की सामान्यतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सहायता प्राप्त हो, शिक्षण, प्रशिक्षण अनुसंधान की सेवाऐं प्रदान करना और पंजीयक द्वारा अधिनियम या अधिनियम के अन्तर्गत नियमों निर्दिष्ट और निर्धारित रीति के अनुसार चंदा देना तथा पंजीयक के अनुमोदन से छात्रवृत्ति, पुरुस्कार, नगद पुरुस्कार देना तथा यात्रा संबंधी एंव अन्य प्रकार की सुविधाऐ प्रदान करना ।

25. विपणनवार्ता प्रसारण तथा इस हेतु समाचार पत्रक, विज्ञप्ति एंव अन्य साहित्य का प्रकाशन करना ।

26. बीजों का श्रेणीकरण करना, इस हेतु सुविधाऐं उपलब्ध कराना तथा श्रेणीकरण केन्द्रों और प्रयोगशालाओं की स्थापना करना ।

27. बीजों के विपणन, प्रकिया तथा कृषि से संबंधित समस्त क्षेत्रों में विकास कार्य करने तथा उनके लिये आवश्यक राशि का प्रावधान करना ।

28. सदस्य संस्थाओं के गोदामों, भंडारण गृहों का निर्माण करना तथा सदस्यों तथा सार्वजनिक संस्थाओं, प्रतिष्ठानों के भवन एंव अन्य प्रकार के निर्माण करना ।

29. अधिनियम की धारा 49 सी के अन्तर्गत राज्य सरकार के ऐसे निर्देश/जिनमें सोसायटी की वित्तीय हानि अन्तर्निहित है, ऐसी सोसायटी की समिति की, और जहां आवश्यक हो वहां राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की पूर्ण सहमति से ही ऐसी हानियों का पूरी तरह से प्रतिकार करने हेतु, सम्यक रुप से उपबन्ध और अग्रिम आबंटन करने के पश्चात ही दिये जावेगें ।

30. सदस्य संस्थाओं को संप्रवर्तित करना, संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए आर्दश उपविधियों विरचित करना और सोसायटियों के विचारण हेतु विभिन्न विनियम और नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शक सिंद्वात बनाना ।

31. अनुसंधान एंव मूल्यांकन करना तथा सदस्य सोसायटियों के लिए भावी विकास योजनाओ को तैयार करने में सहायता करना ।

32. सदस्य सोसायटियों के बीच सांमजस्यपूर्ण संबंध विकसित करना ।

33. सदस्य सोसायटियों के बीच आपस में तथा सोसायटी और उनके सदस्यों के बीच के विषयों को निपटाने में सहायता करना ।

34. सदस्य सोसायटियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सोसायटियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिए अभिमत प्राप्त करने के लिए प्रयास करना तथा विधिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना और उनके हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना ।

35. सदस्य संस्थाओं के साधारण सम्मेलनो के नियमित संचालन हेतु सहायता करना तथा यथासंभव उनके वार्षिक संपरीक्षा तथा निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करना ।

36. सदस्य संस्थाओं के पालन हेतु आचार संहिता तथा सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना ।

37. एसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों के संपादन तथा पूर्ति के लिए एंव संस्था के विकास एंव प्रगति के लिए प्रासंगिक एंव सहायक हो ।

टिप्पणी :-

यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त धाराओं की व्याख्या के लिए प्रत्येक धारा स्वंय स्वतंत्र है तथा व्याख्या की संदिग्धता की दशा में उनका अर्थ इस प्रकार लिया जाना चाहिये, जिससे की उनका आशय संकीर्ण न होकर व्यापक हो ।

सदस्यता

4. पंजीयन हेतु दिये गये आवेदन पत्र में हस्ताक्षरकर्ता सहकारी समितियों के अतिरिक्त संघ की सदस्यता निम्नानुसार होगी :-

{अ} साधारण सदस्य

1. प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी विपणन समितियां ।
2. प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारिता, स्वायत्ता सहकारी अधिनियम में पंजीकृत सहकारिता,यें।
3. म0प्र0 स्थिति ऐसी अन्य सहकारी समितियां, जिनका कार्य-व्यवसाय संघ की उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुकूल हो ।
4. ऐसे अन्य निगमित निकाय , जिनका कार्य-व्यवसाय संघ की उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुकूल हो ।
5. म0 प्र0 शासन ।

{ ब } नाममात्र सदस्य

1. संघ के साथ व्यापारिक व्यवहार या हित रखने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान संघ के नाममात्र सदस्य बन सकेगें, किन्तु इन्हें संघ के प्रबंध कार्य संचालन अथवा लाभ-हानि में हिस्सेदारी नही होगी । नाममात्र की सदस्यता के लिए समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित राशि तथा प्रवेश शुल्क जमा कराना होगी जो कि वापिसी योग्य नही होगी।

{ स } सदस्यता पंजी

संघ सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नानुसार जानकारी रहेगी :-

क. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविका ।

ख. प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश एंव राशि ।

ग. प्रत्येक सदस्य की संघ में सदस्य के रुप में प्रवेश तिथि ।

घ. यदि किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है तो वह तिथि ।

ड. ऐसी अन्य प्राविष्टया जो विहित की जाऐं ।

नोटः– संघ की सदस्यता पंजी, सदस्य की प्रवेश तिथि, सदस्यता समाप्ति तिथि तथा उसका पता एंव अंश के लिए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगी ।

अंश आवंटन, हस्तांतरण एंव विमोचन

5. {अ} संघ की सदस्यता प्राप्त करने एंव अंश आबंटन हेतु प्रार्थी को संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संघ को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मंडल को होगा जिसके द्वारा सदस्यता तथा अंश आबंटन स्वीकार किया जावेगा ।

{ब} संघ को अधिकार होगा कि वह शासन को अंशपूंजी के 51 प्रतिशत तक या उससे अधिक अंश आबंटन करे जो कि राज्य शासन एंव संघ दोनों कों स्वीकार हो।

{स} प्रत्येक सदस्य, एक ही बार आबंटित किये गये समस्त अंशो के लिए एक अंश प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा । ऐसे प्रत्येक अंश प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र का कमांक तथा अंशो की संख्या जिसके लिए प्रमाण पत्र दिया गया हो तथा अंशो की पटी हुई राशि दर्शायी जावेगी ।

{द} अंश प्रमाण पत्र संस्था के मुद्रांक से जारी किये जावेगें तथा उन पर अध्यक्ष अथवा प्रबंध संचालक एंव सचिव के हस्ताक्षर होगं ।

{ई} यदि कोई अंश प्रमाण पत्र अप्रयोगिक या जीर्णशीर्ण हो गया हो अथवा भद्दा व नष्ट हो या खो गया हो अथवा उसके पृष्ठ पर हस्तातरण हेतु पृष्ठाकंन के लिए स्थान न रह गया हो तो मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये शुल्क के भुगतान करने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा । किन्तु ऐसे प्रमाण पत्र तब तक जारी नही किये जा सकेगें जब तक कि मूल जीर्ण या भद्दे प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु प्रस्तुत नही किये जाते अथवा नष्ट होने या खो जाने का संतोषप्रद प्रमाण संस्था को नही दिया जाता और प्रमाण पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में जैसा कि संस्था उचित समझे, क्षतिपूर्ति बंधक पत्रक नही दिया जाता । इस प्रकार से दिये गये सभी प्रमाण पत्र ' नवीनीकरण ' अंकित कर प्रदान किये जावेगें ।

6. प्रत्येक सदस्य को प्रवेश प्राप्त करने हेतु संघ के निम्नानुसार न्यूनतम अंश कय करना होगा तथा रू0 100/– प्रवेश शुल्क देना होगा –

{अ} उपविधि कमांक 4 'अ' में वर्णित समितियों को सदस्यता के लिए न्यूनतम एक अंश कय करना आवश्यक होगा ।

7. किसी भी सदस्य की सदस्यता मंडल द्वारा इस हेतु आमन्त्रित बैठक में उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त की जा सकेगी यदि उसके द्वारा –

1. अंश राशि का भुगतान न किया गया हो, या

2. इच्छापूर्वक किसी भी उपनियम का उल्लंघन किया गया हो, या
3. इच्छापूर्वक ऐसा कोई भी कार्य किया हो जिसे की संघ की साख को आघात पहुंचा हो, या पहुंच सकता हो या उसकी आर्थिक स्थिति संकट में आ सकती हो । परन्तु ऐसा संकल्प वैध नही होगा यदि सदस्य को उसकी सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव की सूचना या तो व्यक्तिगत रुप से या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सात दिवस पूर्व न दी गई हो तथा उसे मंडल के समक्ष अपने मामले को रखने का अवसर न दिया गया हो । इस प्रकार से सदस्यता समाप्त होने पद सदस्य द्वारा संघ से लिये गये ऋण अथवा अन्य रकमें जो कि उसे चुकाना शेष हों, सदस्य द्वारा प्रदत्त राशि में से काटकर, शेष राशि वापिस की जावेगी ।

8. सदस्यता निम्न स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–
   1. सदस्य संस्था के परिसमापन पद/पंजीयन निरस्त होने पर/ या
   2. संघ की उपविधि के अनुसार सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम एक अंश धारण न करने पर
   3. उपनियिम क0 7 के अनुसार सदस्यता समाप्त होने पर
9. उपनियम क0 7 एंव 8 में वर्णित स्थितियों के सिवाय कोई भी सदस्य, मंडल की पूर्व स्वीकृति बिना किसी भी समय कोई भी अंश वापिस नही ले सकेगा बशर्ते कि ऐसी वापसी की कुल राशि की प्रदत्त अंशपूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न होगी ।
10. सदस्य संस्था के परिसमापन पर उनके अंश या अंशो की राशि, संघ से लिये गये ऋण अथा अन्य राशि जो सदस्य संस्था से प्राप्य हो, काटकर उसके परिसमापक { लिक्विडेटर } को लौटा दी जावेगी ।
11. सदस्यों द्वारा कोई भी अंश मंडल की स्वीकृति के बिना तथा मंडल द्वारा समय–समय पर निश्चित किये गये हस्तांतरण शुल्क पटाये बिना हस्तांतरित नही किया जा सकेगा ।
12. बिना कोई कारण दर्शाये किसी भी अंश के हस्तातंरण की स्वीकृति प्रदान न करने का पूर्ण अधिकार मंडल को होगा ।
13. अंशो के हस्तांतरण हेतु आवेदन संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जावेगा जिसके साथ हस्तातरंण किये जाने वाले अंशो के प्रमाण पत्र तथा हस्तातंरण संबंधी आवश्यक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जावेगा ।
14. सदस्यों द्वारा संघ को देय ऋण तथा अन्य देय राशियों के लिए संघ का ग्रहणाधिकार, सदस्यों के अंशो या पूंजी में जो हिस्सा हो उस पर तथा अमानतें, लाभांश, बोनस, रीबेट, कमीशन या लाभ जो सदस्यों को संघ द्वारा देय हो उस पर रहेगा और संघ द्वारा ऐसे देय की राशे को सदस्यों से प्राप्त ऋण तथा अन्य प्राप्त राशियों की वसूली में लिया जा सकेगा ।

दायित्व

15. सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गये अंश अथवा अंशो के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा ।

पूंजी

16. संघ के व्यवसाय के लिए पूंजी निम्नानुसार एकत्र की जावेगी :–
1. सामान्य अंशो के विक्रय द्वारा ।
2. प्रवेश शुल्क द्वारा ।
3. सहकारी बैंकों, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राज्य में कार्य कर रही किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निकायों, निगमित निकायों और व्यक्तियों से प्रतिभूति पर या निक्षेप प्राप्त कर या अन्य प्रकार से ऋण प्राप्त करना । इसके अतिरिक्त नाममात्र के सदस्यों से विशिष्ट परियोजना हेतु अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रुप में निधि एकत्र की जा सकेगी ।
4. वित्तीय संस्था से विशिष्ट करार एंव अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रुप में निधि एकत्र कर ।
5. सदस्य समिति से, पंजीयक द्वारा स्वीकृत शर्तो पर अमानतें प्राप्त कर ।
6. राज्य शासन एंव अन्य पक्षों से, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से, आर्थिक सहायता, अनुदान एंव दान प्राप्त कर ।

अंशपूंजी

17. {अ} संघ की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 20000000.00 (रूपये दो करोड़) होगी तथा एक अंश का मूल्य 1000.00 (रूपये एक हजार) होगा ।

{ ब } संघ समय–समय पर व्यापक सम्मेलन में ऐसे मूल्यों के नवीन अंश जो उपयुक्त हो, जारी कर, अपनी सामान्य अंश पूंजी में वृद्धि कर सकता है । परन्तु अंशपूंजी में ऐसी वृद्धि तथा नवीन अंशो को जारी करने के लिए उपस्थित सदस्यों के मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से उपनियिमों में संशोधन के लिए पारित प्रस्ताव तथा उस पर संशोधन का पंजीयन होना आवश्यक होगा ।

अधिकतम ऋण सीमा

18. व्यापक सम्मेलन द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के अंदर, संघ के व्यवसाय के लिए मंडल को समय–समय पर जैसा कि उचित प्रतीत हो किसी भी राशि या राशियों को प्राप्त करने या ऋण लेने या अमानत प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

19. व्यापक सम्मेलन { आमसभा }

1. इन उपनियमों में किये गये प्रावधानों को छोडकर संघ के कार्यो से संबंधित अन्य समस्त मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदस्यों के व्यापक सम्मेलन को होगा । मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व तीन माह के भीतर व्यापक सम्मेलन बुलाया जावेगा । यह सम्मेलन वार्षिक व्यापक सम्मेलन कहलायेगा । अध्यक्ष के परामर्श पर या मंडल द्वारा अन्य किसी भी अवसर पर व्यापक सम्मेलन बुलाया जा सकेगा।
2. पंजीयक से या संपूर्ण साधारण सदस्यों के 1/10 से लिखित मांग प्राप्त होने के एक माह के अंदर मंडल द्वारा विशेष व्यापक सम्मेलन बुलाया जावेगा । ऐसा सम्मेलन विशेष व्यापक सम्मेलन कहलायेगा ।
3. यदि उक्त उपकंडिका–2 में उल्लेखित विशेष व्यापक सम्मेलन नही बुलाया गया तो पंजीयक को अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ऐसा व्यापक सम्मेलन बुलाने का अधिकर होगा तथा उनके द्वारा बुलाया गया सम्मेलन मंडल द्वारा आंमत्रित समझा जावेगा ।
4. विशेष व्यापक सम्मेलन में उन समस्त विषयों पर विचार किया जा सकेगा जो कि उपनियमों के अनुसार व्यापक सम्मेलन द्वारा किया जा सकता है, भले ही ऐसे विषय या विषयों पर पूर्व में किसी भी सम्मेलन या सम्मेलनों द्वारा विचार किया गया हो या निर्णय लिया गया हो ।
5. सम्मेलन की तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व समस्त साधारण सदस्यों तथा पंजीयक को लिखित सूचना दी जावेगी । सूचना पत्र में तिथि, स्थान, समय एंव आमसभा में विचारणीय विषयों का उल्लेख होगा । आमसभा का सूचना पत्र सदस्यों को साधारण डाक से डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजा जावेगा तथा संघ के कार्यक्षेत्र में प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में आमसूचना प्रकाशित करवा कर दी जावेगी । उपरोक्तानुसार यदि सूचना पत्र जारी कर दिया गया है और किन्ही कारणों से सदस्य उससे अवगत नही हुए हैं तो यह नही माना जावेगा कि सूचना पत्र की तामीली अनियमित है । अतः साधारण सभा की कार्यवाही अवैध नही मानी जावेगी ।
6. व्यापक सम्मेलन की कार्यवाही के लिए आमसभा की सूचना की तारीख को सदस्यों की संख्या कम से कम 1/10 या 50 प्रतिनिधियों की, जो भी कम हो, उपस्थिति, गणपूर्ती { कोरम} के लिए आवश्यक होगी ।
7. प्रत्येक सदस्य संस्था का संचालक मंडल सदस्यता ग्रहण करने के अवसर पर तथा उसके पश्चात संघ के व्यापक सम्मेलन में सदस्य संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु अपने सदस्यों में किसी एक व्यक्ति को अपनी बैठक में निर्वाचित कर संघ को सूचित करेगा और ऐसा प्रतिनिधि संस्था का प्रतिनिधित्व संघ के आगामी चुनाव तक करता रहेगा ।
8. जिस वार्षिक आमसभा या विशेष सभा में संघ के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है, संघ निर्वाचन किये जाने की तारीख से 45 दिन पूर्व की तारीख को सदस्य सहकारी संस्थाओं एंव उनके प्रतिनिधियों की सूची तैयार करेगा, जिसमें वे प्रतिनिधे भी शामिल किये जावेगें जो संघ के संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी होने के लिए अयोग्य

हैं । ऐसी सूची पंजीयक द्वारा नियुक्त किये गये रिटर्निंग आफिसर को वार्षिक आमसभा या विशेष सभा के लिये नियत की गई तारीख से कम से कम 33 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जावेगी ।

20. यदि व्यापक सम्मेलन के लिए निर्धारित समय से आधे घण्टे तक गणपूर्ति {कोरम} न हो और इस संबंध में सूचना पत्र में अन्य किसी प्रकार का उल्लेख न हो तो सम्मेलन के अध्यक्ष, सम्मेलन को ऐसी तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर सकते हैं जो वे उस समय घोषित करें लेकिन इस स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नही होगा । किन्तु सदस्यों की मांग पर बुलाया गया व्यापक सम्मेलन स्थगित न होकर समाप्त कर दिया जावेगा ।

21. व्यापक सम्मेलन में, अधिनियम, नियम या सोसायटी की उपविधियों में अन्यथा अपेक्षित किये गये के सिवाय या जब तक सम्मेलन में उपस्थित कम से कम 10 सदस्यों द्वारा मतदान की मांग न की गई हो मतदान, उपस्थित सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर व्यक्त किये गये मतों के बहुमत से लिया जावेगा । चाहे हाथ उठाकर अथवा मतदान में, मतों की समानता की स्थिति में, सम्मेलन के अध्यक्ष को , अपने सामान्य मत, जो कि उन्हें सदस्य की हैसियत से प्राप्त है, के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

22. { अ } प्रत्येक साधारण सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा चाहे उसके द्वारा संघ के कितने भी अंश क्रय किये गये हों ।

{ ब } प्रत्येक पदेन सदस्य को अथवा उनके नामांकित व्यक्ति को केवल एक मत देने का अधिकार होगा परन्तु संघ के संचालक मंडल के पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन तथा सहयोजन की कार्यवाही में मत देने के हकदार नही होगें ।

23. संघ के व्यापक सम्मेलन का सभापतित्व संघ के अध्यक्ष करेंगें । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ट उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सभापतित्व करेंगें । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एंव कनिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्मेलन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जावेगा । परन्तु विधान की धारा 49 की उपधारा 7 { अ } की कंडिका { 3} के अनुसार संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अथवा विधान की धारा 49 की उपधारा 8 के अन्तर्गत संचालक मंडल के अधिकार पंजीयक मे वेष्ठित हो जाने की दशा में अथवा विधान की धारा 53 के अन्तर्गत संचालक मंडल को अधिकतिम किये जाने की दशा में पंजीयक द्वारा अधिकृत व्यक्ति आमसभा की अध्यक्षता करेंगें ।

24. { अ} – सम्मेलन में केवल चुनाव को छोड़ अन्य विषयों में किये गये मतदान के प्रत्येक मत की वैधता के एकमात्र निर्णायक सम्मेलन के अध्यक्ष होगें ।

{ आ} – संघ के व्यापक सम्मेलन की बैठक सामान्यतः संघ के मुख्यालय पर होगी ।

25. व्यापक सम्मेलन के कर्तव्य निम्नानुसार होगें :–

1. अधिनियम के अन्तर्गत बनाये नियमों में निर्धारित रीति के अनुसार संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करना ।
2. अंकेक्षित लाभ हानि लेखे, स्थिति विवरण/अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रविदन पारित करना ।

3. अधिनियम, नियम तथा उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार शुद्ध लाभ का विनियोजन तथा वितरण करना ।
4. पंजीयक द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित की गई सीमा के अन्दर वर्तमान तथा नवीन लिये गये ऋणों तथा अमानतों को सम्मिलत कर संघ द्वारा ऋण तथा अमानत प्राप्त करने की अधिकतम सीगा निर्धारण करना ।
5. वार्षिक अनुमान पत्रक स्वीकार करना ।
6. आगामी वर्ष क लिए संस्था के कार्यकमों पर विचार करना एंव स्वीकृति प्रदान करना
7. किसी भी विद्यमान उपनियम तथा उपनियमों को संशोधित करना या निरस्त करना अथवा नये उपनियम या उपनियमों को बनाना ।
8. सम्मेलन के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी विषयों पर विचार करना तथा निर्णय लेना ।

26. व्यापक सम्मेलन की कार्यवाहियां तथा निर्णय एक कार्यवाही पुस्तक में लिखे जावेगें और सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जावेंगें । यह कार्यवाही विवरण 30 दिनों के भीतर सदस्यों को विधिवत प्रेषित किया जावेगा ।

27. सदस्यों को सूचना पत्र { नोटिस एंव संदेश भेजने की रीति }
अधिनियम एंव नियम तथा उपनियमों में किये गये विशेष प्रावधानों को छोड़ अन्य समस्त सूचना पत्र और संदेश सदस्यों को उनके पते पर जो संघ के पास हो साधारण डाक से अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजे जावेगें या उन्हें अभिस्वीकृति प्राप्त कर सौंप दिये जावेंगें । डाक द्वारा भेजे गये सूचना पत्र तथा संदेश का प्रमाण सूचना तथा संदेश दिये जाने का पर्याप्त प्रमाण माना जावेगा ।

संचालक मंडल का गठन

28. इन उप नियमों में किसी बात के रहते हुए भी संघ का प्रथम संचालक मण्डल प्रथमतः एक वर्ष के लिये पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश द्वारा मनोनीत किया जायेगा। पंजीयक नामांकित संचालक मण्डल की अवधि एक–एक वर्ष के लिये और बढ़ा सकेंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नामांकन की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । उक्त अवधि की समाप्ति की पश्चात् संचालक मण्डल का निर्वाचन कराया जा सकेगा । ऐसे निर्वाचन हेतु संचालक मंडल का गठन निम्नानुसार होगा :– [कार्या. पंजीयक आदेश क्र. 193 दि. 22.1.11 से नामांकन की अवधि 9 वर्ष की गई है। (आदेश संलग्न)]

1. उप विधि कमांक 4 (अ) (1) अनुसार संघ की सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों , जिनके द्वारा विगत तीन वर्षो के औसत के आधार पर सर्वाधिक बीज उत्पादन कर संघ को दिया हो , के प्रतिनिधि – प्रत्येक राजस्व संभाग से एक संचालक । परन्तु यह और भी कि संघ के प्रदायित

बीज की मात्रा की गणना में उस बीज की मात्रा नहीं ली जायेगी जो संघ स्तर से निर्धारित गुणवत्ता न होने के कारण अमान्य की गयी हो ।

2. उप विधि कमांक 4 (अ) (2) अनुसार सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिताओं , जिनके द्वारा विगत तीन वर्षो के औसत के आधार पर सर्वाधिक बीज उत्पादन कर संघ को दिया हो , के प्रतिनिधि – पूरे प्रदेश से दो संचालक । परन्तु यह और भी कि संघ के प्रदायित बीज की मात्रा की गणना में उस बीज की मात्रा नहीं ली जायेगी जो संघ स्तर से निर्धारित गुणवत्ता न होने के कारण अमान्य की गयी हो ।

3. उप विधि कमांक 4 (अ) (3) अनुसार अन्य सदस्य समितियों , जिनके द्वारा विगत तीन वर्षो के औसत के आधार पर सर्वाधिक बीज उत्पादन कर संघ को दिया हो , के प्रतिनिधि – पूरे प्रदेश से एक संचालक । परन्तु यह और भी कि संघ के प्रदायित बीज की मात्रा की गणना में उस बीज की मात्रा नहीं ली जायेगी जो संघ स्तर से निर्धारित गुणवत्ता न होने के कारण अमान्य की गयी हो ।

4. यदि उपरोक्तानुसार संचालकों में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग / महिला का निर्वाचन नहीं होता है तो ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उप विधि कमांक 4 (अ) (1) एवं 4 (अ) (2) अनुसार सदस्य समितियों में से ऐसी समितियों, जिनके प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग / महिला के हों तथा ऐसी सदस्य समितियों के द्वारा विगत तीन वर्षो के औसत के आधार पर सर्वाधिक बीज उत्पादन कर संघ को दिया हो, के प्रतिनिधियों में से उक्त रिक्त वर्ग के एक–एक संचालक । परन्तु यह और भी कि संघ के प्रदायित बीज की मात्रा की गणना में उस बीज की मात्रा नहीं ली जायेगी जो संघ स्तर से निर्धारित गुणवत्ता न होने के कारण अमान्य की गयी हो ।

पदेन संचालक

1. **प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या0, भोपाल या उनका प्रतिनिधि ।**
2. **प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिल्हन उत्पादक संघ मर्यादित,भोपाल या उनका प्रतिनिधि ।**
3. **प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,भोपाल या उनका प्रतिनिधि ।**
4. प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान, भोपाल या उनका प्रतिनिधि ।
5. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भोपाल, यदि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी गई हो।
7. संघ के प्रबंध संचालक ।

8. सभा के सचिव – संचालक मण्डल के सदस्य सचिव रहेंगे।

नोट – 1. मंडल में किसी भी समय किसी कारण से कोई भी स्थान रिक्त होने के बावजूद भी मंडल अपना कार्य करने में पूर्ण रुप से गठित मंडल की भांति सक्षम होगा । परन्तु एक वर्ष के भीतर या आगामी वार्षिक साधारण सभा के पूर्व, जो भी पहले हो, मंडल में ऐसे, रिक्त स्थानों में पूर्ति विधिवत सहयोजन द्वारा की जावगी ।

2. सदस्य संस्था का कोई प्रतिनिधि संचालक पद हेतु उम्मीदवार न हो सकेगा यदि उसे अधिनियम अथवा नियमों के अनुसार योग्यता प्राप्त न हो ।

3. मंडल से किसी भी संचालक की सदस्यता अपने आप रिक्त हो जावेगी यदि :–

1. उस सदस्य की संस्था की सदस्यता , जिसका कि वह प्रतिनिधि है , उपनियम कमांक 8 के अनुसार समाप्त हो जाती है ।
2. उस सदस्य संस्था के विरुद्ध , जिसका कि वह प्रतिनिधि है, संस्था द्वारा डिकी प्राप्त की गयी हो और उसका शोधन न किया गया हो ।
3. उसकी सदस्यता उस सदस्य संस्था से जिसका की वह प्रतिनिधि है, समाप्त हो गई हो ।
4. उसने लिखित सूचना देकर संचालक का पद त्याग कर दिया हो ।
5. उसे अधिनियम तथा अधिनियम के अन्तर्गत के नियम के अनुसार कोई भी योग्यता प्राप्त न हो ।
6. मंडल की अनुमति के बिना वह मंडल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो और उसकी ऐसी अनुपस्थिति मंडल द्वारा माफ न कर दी गई हो ।
7. यदि वह ऐसा व्यक्ति हैं, जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा से हटा दिया गया है ।
8. यदि वह सदस्य संस्था, जिसका कि वह प्रतिनिधि है, ने विगत तीन वर्ष से बीज उत्पादन का कार्यकम नहीं लिया हो और उत्पादित बीज संघ को विकय नहीं किया हो ।
9. यदि उस सदस्य संस्था, जिसका कि वह प्रतिनिधि है, द्वारा गत तीन वर्ष में संघ द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में प्रतिवर्ष संघ को बीज प्रदाय किया हो । परन्तु किसी भी वर्ष में सदस्य संस्था द्वारा संघ को प्रदाय किये जाने वाले बीज की मात्रा 500 सौ क्विंटल प्रति वर्ष से कम नहीं होगी ।

   स्पष्टीकरण :–सदस्य संस्था द्वारा प्रदाय किये जाने वाले बीज में उस बीज की मात्रा सम्मिलित नहीं होगी जो शासन अथवा

संघ द्वारा गुणवत्ता के आधार पर अमान्य की गयी हो अथवा फेल घोषित की गयी हो ।

7. मंडल के पदेन सदस्य को किसी भी समय उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति का नामांकन रद्द करने तथा उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति का नामांकन करने का अधिकार होगा।

पदाधिकारी एंव प्रतिनिधि का निर्वाचन

29. मंडल के सदस्यों में से निर्वाचित संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित एंव सहयोजित संचालको की प्रथम बैठक में अध्यक्ष, एंव संस्था की ओर से अन्य संस्थाओं { जिनके अंश संघ ने कय किये हैं } में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जावेगा तथा इस बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

30. { अ} निर्वाचन द्वारा उपविधि के अनुसार निर्धारित स्थान नही भरे जाने की स्थिति में संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के पश्चात आयोजित प्रथम बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ती उन्ही वर्ग के सदस्यों से सहयोजन द्वारा करेंगें जिस वर्ग के सदस्य का स्थान रिक्त है । गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नही किया जावेगा ।
परन्तु यह और भी कि यदि उपविधियों में संचालक मंडल की बैठक के लिए निर्धारित कोरम से कम संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं तो ऐसी दशा में सहयोजन नही होगा, अपितु शेष पदों के लिए निर्वाचन की प्रकिया पुनः प्रारंभ की जावेगी ।
{ आ} यदि किसी समय मंडल में किसी संचालक का पद अथवा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का पद त्याग पत्र देने, देहावसान हो जाने या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो ऐसे रिक्त पद की पूर्ति हेतु सहयोजन/निर्वाचन संचालक मंडल की उस बैठक में, जिसकी कार्यसूची में यह विषय बैठक की सूचना में अंकित है, में की जावेगी । निर्वाचन की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी । ऐसी बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति आवश्यक होगी ।

31. { अ} संघ के संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसमें कि अध्यक्ष,एंव प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिए संचालक मंडल की प्रथम बैठक आयोजित की गई है, से पांच वर्ष होगा ।
{ आ} यदि संघ का संचालक मंडल विधान के तहत अधिकमित किया गया हो निलंबित किया गया हो या हटाया गया हो और तत्पश्चात किसी न्यायालय या अन्य आदेश से पुनः संचालक मंडल पदारुढ होता है तो जितनी अवधि के लिए मंडल अधिकमित रहा, या हटाया गया वह समय उपधारा { अ} में वर्णित कार्यकाल में नही माना जावेगा ।
{ इ} संघ की बहिर्गामी समिति के लिए बाध्यकर होगा कि वह विनिर्दिष्ट कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व निर्वाचन कराये । बहिर्गामी समिति कार्यकाल समाप्त होने के कम से कम 90 दिन पूर्व पंजीयक से निर्वाचन कराने का निवेदन करेगी । यदि इस निवेदन पर पंजीयक निर्वाचन कराने में असफल रहता है तो समिति के कार्यकाल के

अवसान के पश्चात भी पंजीयक समिति का कार्यभार नही संभालेगा । यदि पंजीयक बहिर्गामी समिति के निवेदन के पश्चात समिति का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने के 90 दिन के अन्दर नही कराता है तो बहिर्गामी समिति के लिए बाध्यकर होगा कि वह कार्यकाल समाप्त होने के 180 दिन के भीतर समिति का निर्वाचन कराये । यदि समिति कार्याकाल समाप्त होने के 180 दिन के भीतर समिति का निर्वाचन कराने में असफल रहे तो समझा जाऐगा कि समिति के समस्त सदस्यों ने अपने–अपने स्थान रिक्त कर दिये हैं और पंजीयक कार्यभार संभाल लेगा तथा यथासंभव चुनाव ——

32. संचालक मंडल की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार, या जब भी आवश्यक हो आयोजित की जावेगी । किन्तु सामान्यतः एक बैठक से दूसरी बैठक में 3 माह से अधिक का अन्तर नही होगा । बैठक के लिए सूचना प्रत्येक संचालक को कम से कम 10 दिन पूर्व दी जावेगी, जिसमें तिथि, समय, स्थान और विचारणीय विषयों का उल्लेख होगा । मंडल की बैठक की सूचना पत्र संचालक को व्यक्तिशः तामिली द्वारा या पंजीकृत डाक से भेजा जावेगा।

33. मंडल की बैठकें प्रबंध संचालक द्वारा बुलाई जावेगी ।

34. मंडल में उनकी सदस्य संख्या के आधे से अधिक संचालकों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी ।

35. यदि मंडल की बैठक के लिए निर्धारित समय पर गणपूर्ति न हो, तो बैठक उस समय तिथि और स्थान के लिए स्थगित हो जावेगी, जैसा कि सूचना पत्र में दिया गया हो। यदि सूचना पत्र में ऐसी तिथि, समय और स्थान का उल्लेख न किया गया हो, तो बैठक के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित संचालकों की सहमति से किसी अन्य तिथि, समय व स्थान के लिए बैठक स्थगित की जा सकेगी । इस तरह स्थगित की गई बैठक के लिए समस्त संचालकों को सात दिन की सूचना दी जावेगी । स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होगी । स्थगित बैठक में पूर्व निश्चित विषयों को छोड अन्य विषय पर विचार नही किया जा सकेगा ।

36. मंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष करेंगें । संघ के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित संचालकों द्वारा अपने में से किसी एक संचालक को उस बैठक की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष चुना जावेगा ।

37. मंडल की बैठक में प्रस्तुत समस्त विषयों पर निर्णय केवल उन विषयों को छोड जिनके निर्णय के लिए अधिनियम, अधिनियम के अन्तर्गत नियम एंव उपनियमों में अन्य भांति प्रावधान हो हाथ उठाकर व्यक्त किये गये मतों के बहुमत से किया जावेगा । मतों की समानता की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष को उनके साधारण मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

38. मंडल की बैठक में किये गये मतदान के प्रत्येक मत की वैधता के एक मात्र निर्णायक बैठक के अध्यक्ष होंगें ।

39. किसी भी संचालक की नियुक्ति या चुनाव संबंधी त्रुटि या अन्य प्रकार की अयोग्यता बाद में ज्ञात होने के बावजूद भी मंडल की बैठक की सभी कार्यवाहियां तथा निर्णय उसी प्रकार से वैध होगें जैसे कि प्रत्येक संचालक की नियुक्ति एंव चुनाव या संचालक होने की पूर्ण योग्यता रखने पर होगी ।

(16)

मंडल के अधिकार एंव कर्तव्य

40. मंडल के अधिकार व कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

1. संघ का आगामी वर्ष का कार्यक्रम, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एंव बजट साधारण सम्मेलन में प्रस्तुत करना ।
2. संघ में विशिष्ट कार्य के लिए उपसमिति गठित करना । इस उपसमिति में संघ के अध्यक्ष को मिलाकर कुल 5 संचालक हो सकेगें । इस उपसमिति को उसे सौंपे गये कार्य को आवश्यक रुप से निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा ।
3. कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, पदोन्नति, दण्ड , अवकाश , प्राविडेंट फंड , उपदान { ग्रेच्यूटी}, प्रवास भत्ता या उनके कार्यो से संबंधित अन्य विषयों के लिए नियम बनाना परन्तु ऐसे नियमों के लिए पंजीयक का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
4. अंश वापिस करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना ।
5. प्रवेश शुल्क और अंश प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण एंव हस्तातरंण के लिए शुल्क निर्धारण करना ।
6. व्यापक सम्मेलन के अनुमोदन हेतु वार्षिक आय–व्यय, अनुमान पत्रक पर विचार करना।
7. संघ के संपरीक्षा एंव अनुपालन प्रतिवेदनों पर विचार करना और साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना ।
8. व्यापक सम्मेलन तथा पंजीयक द्वारा निर्धारण की गई अधिकतम ऋण सीमा के अंदर ऋण तथा अमानतें प्राप्त करने की मंजूरी देना ।
9. शासन से अर्थ सहायता, अनुदान एंव दान स्वीकृत करना ।
10. पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से किसी भी चल या अचल सम्पत्ति के जिसमें अंश प्रतिभूतियां (सिक्यूरिटी) के अधिकार प्रपत्र भी सम्मिलित हैं और जो संघ के अधीनस्थ अथवा अधिकार में हैं , उसे संघ के व्यवसाय के लिये विकी करने, बंधक रखने, पट्टे पर देना, विनिमय करने, किराये पर देने या भाटक कय विधि से पृष्ठांकन द्वारा तारण रखकर अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण देने की मंजूरी देना ।
11. संघ की अंशपूंजी इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की धारा 20 में उल्लेखित की गई किन्हीं भी प्रतिभूतियों में, संघीय संस्था के (जिसका संघ सदस्य है) अंश कय करने में किसी सीमित दायित्व वाली संस्था के अंश ऋण पत्र या प्रतिभूति कय करने में अथवा सहकारी अधिनियम या अधिनियम के अन्तर्गत

नियमों के अनुसार राज्य शासन के सामान्य या विशेष आदेशानुसार अन्य प्रकार से विनियोजित करने की स्वीकृति देना ।

12. अंकेक्षित लाभ–हानि लेखा, स्थिति विवरण, अंकेक्षण प्रतिवेदन एंव वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें व्यापक सम्मेलन में प्रस्तुत करना और व्यापक सम्मेलन को शुद्ध लाभ का विनियोग करने लाभांश की दर , अवहार { रीबेट} अतिरिक्त कमीशन, कर्मचारियों के बोनस के संबंध में सिफारिश
13. संघ के व्यवसायों की समीक्षा करना तथा समय–समय पर संघ की व्यवसायिक नीतियों की रुपरेखा तैयार करना ।
14. संघ के व्यवसाय के लिए समय–समय पर नियम और सहायक नियम
15. किसी सदस्य संस्था की सदस्यता समाप्त करना ।
16. चल या अचल संपत्ति कय करने या प्राप्त करने की स्वीकृति देना तथा संबंधित दस्तावेजों एंव कागजातों पर संघ की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु किन्ही व्यक्तियों को अधिकार देना किन्तु चल/अचल संपत्ति की खरीदी या प्राप्ति पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से की जावेगी ।
17. किसी चल या अचल संपत्ति के निर्वतन की स्वीकृति देना तथा संबंधित दस्तावेजों एंव कागजातों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिकार देना किन्तु चल/अचल संपत्ति का निर्वतन पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से किया जावेगा ।
18. उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाना तथा उसके पालन में होने वाली आवश्यक राशि स्वीकृति करना ।
19. उल्लेखित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने तथा उसके लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति देना ।
20. उल्लेखित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने तथा उसके लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति देना ।
21. संस्था की ओर से ठेके, इकरारनामे, भागीदारी एंव सहभागीदारी निष्पादन करने के लिए स्वीकृति देना ।
22. सदस्यों एंव सदस्य संस्थाओं को अग्रिम प्रदान करने हेतु शर्तो की स्वीकृति देना ।
23. सदस्य संस्था को दिये गये ऋण या साख को प्रत्याभूत करने की मर्यादा एंव शर्ते निश्चित करना ।
24. किसी सहकारी संस्था का प्रबंध लेने हेतु स्वीकृति देना ।
25. अन्य प्रकार के व्यवसाय लेने की स्वीकृति देना ।
26. इन उपनियिमों के अनुसार संघ का व्यापक सम्मेलन बुलाना ।
27. समय–समय पर अपने अधिकार एंव कर्तव्यों को संचालक मंडल के अध्यधीन रहते हुए कार्यकारिणी समिति अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालक अथवा अन्य किसी उपसमिति को सौंपना ।

28. संघ की ओर से संघ के विरुद्ध कोई भी ऋण तथा विवाद या संघ के अधिकारियों के विरुद्ध संस्था के व्यवसाय से संबंधित कानूनी कार्यवाहियों का आपसी समझौता करना, परित्याग करना या मध्यस्थ निर्णय (आरबी–ट्रेशन) के सुपुर्द करना ।

29. साधारणतः संघ व्यवसाय से संबंधित विषयों में प्रबंध संचालक या अन्य किसी समिति को निर्देश देना ।

30. बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार करना ।

31. व्यवसाय संचालन एंव प्रशासन हेतु अध्यक्ष को अधिकार देना जिसके तहत उनके द्वारा किये गये कार्यो की पुष्टि उन्हें संचालक मंडल की आगामी बैठक में करनी होगी ।

32. संघ के अध्यक्ष एंव अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना ।

33. संघ के अध्यक्ष एंव अन्य पदाधिकारियों को पद से हटाना ।

34. निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग निर्धारित करने, लेखाओं के रखे जाने की रीति, निधियों के संचालन का उपयोग विनिधान के लिए तथा फाईल की जाने वाली कानूनी विवरणियों के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध के लिए नीति निर्धारित करना ।

35. लेखाओं की संपरीक्षा शासकीय अंकेक्षकों या शासन द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से कराने बाबत निश्चित करना ।

36. उसमें निहित शक्तियो में से समस्त या किसी भी शक्ति को संघ के किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना ।

मंडल की कार्यवाही पुस्तिका

41. मंडल की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही एंव लिये गये निर्णय एक कार्यवाही पुस्तक में लिखे जावेंगें एंव उस पर बैठक के अध्यक्ष एंव प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर होंगें ।

42. मंडल, कार्यकारिणी समिति और उपसमिति के सदस्य, संघ के कार्य से संबधित प्रवास के लिए, प्रवास खर्च व भत्ता तथा बैंठकों में भाग लेने के लिए प्रवास खर्च व बैठक शुल्क, इस संबंध में बनाऐ गये एंव पंजीयक द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगें ।

अध्यक्ष

43. अध्यक्ष संघ के व्यापक सम्मेलन, मंडल एवं उपसमितियों (यदि कोई हों)की बैठकों की अध्यक्षता करेंगें तथा ऐसे अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे जो समय समय पर उन्हें प्रदत्त किये जायें । मंडल द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन कराने के लिए प्रबंध संचालक को निर्देशित करेंगें ।

प्रबंध संचालक

44. संघ के प्रबंध संचालक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों , जो संयुक्त पंजीयक स्तर से निम्न न हो, में से की जायेगी । प्रबंध संचालक संघ का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा । संघ के दैनिक व्यवसाय का संचालन प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा । अधिनियम, नियम एवं मंडल द्वारा सौंपे गये अधिकार एंव कर्तव्यों के अधीन निम्नानुसार अधिकारों एंव कर्तव्यों का पालन करेंगा :—

1 संघ के दैनिक सभी कार्यो कर पर्यवेक्षण, नियंत्रण एंव मार्गदर्शन करना ।

2. संघ के प्रशासन पर नियंत्राण एवं पर्यवेक्षण करना तथा कर्मचारियों को कार्य सौंपना ।

3. संघ के कर्मचारियों या संवर्ग (केडर) कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो उसे प्रदत्त की जाए ।

4. कर्मचारियों द्वारा यदि कोई प्रतिभूति दी जाने वाली हो, तो प्रतिभूति की राशि तथा स्वरूप निर्धारित करना ।

5. मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

6. संघ की ओर से पत्र व्यवहार करना ।

7. संघ के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित करना ।

8. प्रथम श्रेणी के स्तर के कर्मचारियों के स्थानांतरण, संघ के सेटअप एवं व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए करना ।

9. संघ के व्यापार संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे समिति को प्रस्तुत [illegible]

10. किसी भी सहकारी सोसायटी के, जिसका प्रबंध भार संघ को सौंपा गया हो, कार्य संचालन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्त करना और समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जो कि आवश्यक समझे, लेकिन ऐसे कार्य की स्वीकृति कार्यकारिणी समिति से प्राप्त करना ।

11. मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों पर सदस्यों को नगद तथा वस्तुओं के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति देना ।

12. उपनियम में निर्धारित उद्देश्यों एंव कार्यो के लिए मण्डल द्वारा स्वीकृत राशि व्यय करना।

13. मण्डल और उपसमिति की बैठकें बुलाना ।

14. संघ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन जो मण्डल द्वारा चाहे गये हो, मण्डल को प्रस्तुत करना ।

15. अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षित लाभ—हानि लेखा और स्थिति विवरण निरीक्षण टिप्पणियां प्रस्तुत करना और उनकी तामिली करवाना ।

16. वार्षिक आय—व्यय का अनुमान पत्रक प्रस्तुत करना ।

17. मण्डल को संघ द्वारा किये जाने वाले आर्थिक व्यवहारो तथा बंधनों के संबंध में सिफारिश करना ।
18. संघ के व्यवसाय एवं संघ से संबंधित सभी मामलो के लिए खर्च की स्वीकृति देना तथा कार्य करने के लिए अधिकार देना ।
19. संघ पर ऋणों, दायित्वों, दावों और मांगों का भुगतान करना या पूर्ण शोधन करना ।
20. साधारणतः किसी भी समय ऐसे सभी कार्य करना और ऐसे सभी व्यय करना जो कि संघ के हित में या हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो ।
21. संघ के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, मार्गदर्शन करना तथा पर्यवेक्षण करना
22. उसमें निहित शक्तियो में से समस्त या किसी भी शक्ति को संघ के किसी अधिकारी/अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना ।

टिप्पणी

संघ के प्रबंध संचालक का पद किसी भी कारणवश रिक्त होने की स्थिति में उपनियमों में उल्लेखित उनके सभी कर्तव्य एवं अधिकार संघ के सचिव को होंगे किन्तु मंडल का कार्येत्तर अनुमोदन आवश्यक होगा ।

सचिव

45. **संघ के प्रबंध में प्रबंध संचालक की सहायता के लिए सचिव की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी जो कि सहकारिता विभाग का "प्रथम श्रेणी" का अधिकारी होगा ।**
46. **मण्डल अथवा प्रबंध संचालक द्वारा प्रदत्त कर्त्तव्य एवं अधिकारों तथा समय समय पर दिए गए निर्देशों अथवा ऐसे आदेशों जो दिये जावे के अतिरिक्त सचिव के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :–**
    1. **प्रबंध संचालक को, संघ के समस्त वैतनिक कर्मचारियों के कार्यो पर नियंत्रण रखने पर्यवेक्षण करने तथा मार्गदर्शन देने में सहायता करना ।**
    2. **संघ के प्रबंध संचालक की ओर से संघ का पत्र व्यवहार करना ।**
    3. **अधिनियम और अधिनियम के अंतर्गत नियमों के प्रावधान के अनुसार संघ की पुस्तिकों से प्रविष्टियां प्रमाणित करना ।**
    4. संघ के कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना ।
    5. अधिनियम और अधिनियम के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को संघ के कागजातों और दस्तावेजों का निरीक्षण करना ।
    6. **संघ के कर्मचारियों के अवकाश का हिसाब सेवा पुस्तक तथा निजी रिकार्ड रखे जाने की व्यवस्था करना ।**

(21)

7 अधिनियम एवं अधिनियम के अंतर्गत नियम तथा अन्य किसी कानून के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण (रिटर्न्स) प्रस्तुत करना ।

8 मण्डल, अध्यक्ष अथवा प्रबंध संचालक द्वारा प्रदत्त कर्तव्य व अधिकार तथा संघ के किसी नियमों के अनुसार दिये गये कर्तव्यों का पालन करना तथा अधिकारों का प्रयोग करना ।

9 प्रबध संचालक को संघ से संबंधित समस्त मामलों में सहायता करना और ऐसे सभी कर्त्तव्यों का पालन करना जो उन्हें मण्डल तथा प्रबंध संचालक द्वारा सौंपे जावे ।

10 मण्डल तथा प्रबंध संचालक द्वारा समय समय पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश, नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रसारित करवाना ।

11 मण्डल तथा प्रबंध संचालक के निर्णय अनुसार संस्था के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, हटाने, बर्खास्त करने, अर्थदण्ड देने या अन्य प्रकार से दंडित करने के आदेश इस हेतु सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रसारित करवाना, केवल उन्हें छोड़कर जिनकी नियुक्ति राज्य शासन अथवा पंजीयक के अनुमोदन से किया जाना है ।

12 सदस्यता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना ।

13 संघ द्वारा या संघ के विरूद्ध संघ के कार्यो से अन्यथा संबंधित किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जिनमें दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य किसी न्यायालय अधिकार के प्रकरणों में विधिक कार्यवाहियां सुनिश्चित करना, संचालित करना, प्रतिरक्षण करना, प्रशमन करना या परित्याग करना, पैरवी करना, बचाव करना और समिति/ मण्डल / प्रबंध संचालक के विनिश्चयों के अनुसार संघ द्वाराया संघ के विरूद्ध किन्हीं दावों यामांग के प्रश्मन करने का अधिकार शामिल है, उनके भुगतान या पुष्टि के लिए समक्ष अनुज्ञात करना उन शर्तों पर जैसा कि उचित हो, अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार तथा संघ की ओर एजेन्ट / प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना तथा उनके मेहनताने, फीस एवं पारिश्रमिक आदि के भुगतान की स्वीकृति देना ।

14 प्रबंध संचालक द्वारा स्थानांतरण किए गए कर्मचारियों के स्थानातरण के आदेश प्रसारित करना ।

15 विशेष परिस्थितियां, जो उल्लेखित की जावेगी, में ऐसे सभी कार्य करना और ऐसे सभी व्यय करना जो संघ के हित में या हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हो, ऐसे किये गये कार्यों का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराना होगा

16 सघ के कर्मचारियों के सेवा नियम के अध्यधीन रहते हुए समय समय पर सामयिक कर्मचारियों या निम्न श्रेणी के कर्मचारियों अथवा परिचालकों की नियुक्ति करना जैसा कि वे ठीक या आवश्यक समझे तथा उन्हें निलंबित करना, हटाना, बर्खास्त करना, अर्थदण्ड देना या अन्य किसी प्रकार दंडित करना या उन्हे इस अवधि के लिए जैसा कि आवश्यक समझे कार्य से अलग रखना ।

17 उपनियम अनुसार अंश प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण करना तथा क्षतिपूर्ति [illegible] प्राप्त करना जैसा कि वे उचित समझे।

18 संघ द्वारा या संघ के विरूद्ध संघ के कार्यो स अन्यथा संबंधित किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों एवं समिति / मंडल के विनिश्चय अनुसार संघ द्वारा या संघ के विरूद्ध किन्ही दावों या मांग को संस्थित करने, प्रतिरक्षण करने, प्रशमन करने या परित्याग करने या उनके भुगतान या त्रुटि के लिए आवश्यक विधिक कार्यवाहियां पूर्ण करने हेतु आवश्यक आदेश /निर्देश देना ।

19 संघ के पक्ष में समस्त संघ पत्रों तथा करारों पर हस्ताक्षर करना ।

20 मण्डल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार संस्था की ओर से तथा संस्था के नाम पर चल या अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय, उपरोक्त संबंधी दस्तावेजों को निष्पादन करना तथा उस सम्बन्ध में अन्य समस्त कार्यवाही करना ।

21 संघ की ओर से तथा संघ के नाम ऋण तथा अमानत प्राप्त करने हेतु बचत पत्र { प्रामिसरी नोट } दस्तावेजों और अन्य कागजात निष्पादन करना तथा हस्ताक्षर करना और अन्य समस्त कार्यवाहियां करना

22 मण्डल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार कोई चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, अंश प्रतिभूति दस्तावेजों के विक्रय, गिरवी तारण हस्तांतरण, पृष्ठांकन या अन्य प्रकार से फरोख्त संबंधी कागजातों और दस्तावेंजों को संघ की ओर से निष्पादन करना।

23 पूर्ण शोधन होने पर संघ के दावों और मांगों को छोडना या उन्मुक्त करना ।

24 संघ की किसी चल या अचल सम्पत्ति के सुधार या मरम्मत करने की स्वीकृति प्रदान करना ।

25 उसमें निहित शक्तियो में से समस्त या किसी भी शक्ति को संघ के किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना ।

26 प्रबंध संचालक के लिखित अनुमोदन पश्चात् वार्षिक साधारण सभा, संचालक मंडल तथा उप समितियों (यदि कोई हों) की बैठक आहूत करना, बैठक हेतु व्यवस्था तथा कार्यवाही विवरण को अनुमोदन उपरान्त जारी करना ।

वार्षिक लेखा और लाभ

47.

{अ} **संघ के लेखे 31 मार्च को बन्द किए जावेगें ।**

{ब} **लाभ-हानि लेखा और स्थिति विवरण समय समय पर निर्धारित प्रपत्र में बनाये जावेंगे ।**

{स} सहकारी अधिनियम या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में यदि विपरीत प्रावधान न हो तो व्यापारिक लेखा, लाभ-हानि लेखा और स्थिति विवरण के लिए

1. वर्ष के अंत में व्यापारिक माल के स्कंध का मूल्यांकन लागत मूल्य से या बाजार मूल्य से इन दोनों में जो भी कम हो किया जावेगा ।
2. व्यापारिक माल के स्कंध को छोड़ अन्य समस्त माल के स्कंधें, भवनों, मशीनरी और यंत्रों के फर्नीचर तथा जखीरा अन्य अचल सम्पत्ति तथा ऐसे विनियोगों

{ इन्वेस्टमेंट } जिनका बाजार मूल्य कमहोगयाहो, का अवक्षयण {डिप्रिसियेशन} काटा जावेगा ।

3. संघ के समस्त आकस्मिक, दायित्वों, शंकास्पद ऋणों सम्पत्तियों तथा दावों के लिए प्रावधान किया जावेगा ।
4. समस्त अशोध्य ऋणों, दावों बकाया राशियों एवं अनुपलब्ध सम्पत्तियों तथा हानियों को समायोजन { सेटअप } किया जावेगा ।
5. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, राष्ट्रीय सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली तथा पंजीयक, द्वारा उल्लेखित अन्य संस्था अथवा संघों को चन्दा दिया जावेगा ।

{द} यदि पंजीयक द्वारा अंशतः या पूर्णतः मुक्त न किया गया हो तो शुद्ध लाभ की कम से कम 25 प्रतिशत राशि रक्षित निधि { रिजर्व फण्ड } में जमा की जावेगी ।

{इ} उपरोक्तानुसार जो अवशिष्ट लाभ रहेगा उसे व्यापक सम्मेलन द्वारा अधिनियम एवं नियमों के अध्यधीन रहते हुए निम्नानुसार वितरण किया जा सकेगा :

1. पूर्णतः चुकाये गये अंशों पर 25 प्रतिशत लाभांश देने में यदि मण्डल 25 प्रतिशत से अधिक लाभांश की सिफारिश करता है तो पंजीयक की स्वीकृति आवश्यक होगी ।
2. सदस्य संस्थाओ को अवहार { रिबेट } एवं अतिरिक्त कमीशन देने में जो मण्डल की सिफारिश से अधिक न हो ।
3. कर्मचारियो को बोनस देने में जो मण्डल की सिफारिश से अधिक न हो ।
4. साधारण अंशपूंजी मोचन निधि { शेयर रिडेम्पशन फण्ड } में 20 प्रतिशत राशि अंतरित की जावेगी ।
5. निम्नलिखित किसी भी या सभी निधियों { फण्ड } में विनियोजित करने में –
   { अ } भवन निधि
   { आ } लाभांश संतुलन निधि
   { इ } मूल्य अस्थिरता निधि
   { ई } कर्मचारी कल्याण निधि
   { उ } अन्य निधियों जो आवश्यक समझी जावें ।

रक्षित निधि एवं अन्य निधियों का विनियोग

48. { अ } रक्षित निधि तथा अन्य निधियां पूर्णतःसंघ की होगी और अभिभाज्य होंगी और किसी भी सदस्य द्वारा इनके किसी भी भागपर दावा नहीं किया जा सकेगा।

{ ब } पंजीयक के निर्देश पर उसके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं सहकारी अधिनियम या नियमों के अनुसार रक्षित निधि का विनियोग या उपयोग किया जा सकेगा ।

{ स } अन्य निधियों का विनियोग या उपयोग मण्डल द्वारा समय समय पर लिए गये निर्णयों के अनुसार किया जावेगा, किन्तु किसी निधि का विनियोग बिना पंजीयक की स्वीकृति के अचल सम्पत्ति में नहीं किया जा सकेगा ।

{ द } परिसमापन पर रक्षित निधि तथा अन्य का उपयोग अधिनियम तथा नियमों के अनुसार किया जा सकेगा ।

49. पंजीयक द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई हिसाब पुस्तकों और पंजियों के अतिरिक्त संघ का हिसाब ऐसी हिसाब पुस्तकों तथा पंजियों में रखा जावेगा जो कि व्यवसाय कीदृष्टि से आवश्यक हो ।

50. संघ में पटाई गई समस्त राशियों के लिए सचिव द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा अधिकारिक पावतियां दी जावेगी और केवल ऐसी दी गई पावतियां ही वैध और संघ पर बंधनकारी होगी ।

51. उपनियम अथवा उपनियमों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या निरस्तीकरण या नवीन उपनियमों या उपनियम का बनाना, अधिनियम तथा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के प्रावधान के अनुसार संस्था के व्यापक सम्मेलन के प्रस्ताव द्वारा किया जावेगा जो सहकारी समितियां नियम में निहित प्रकिया के अनुसार पंजीयक को प्रस्तुत किए जावेंगे तथा वे उस दिन से लागू होंगे जिस दिन पंजीयक द्वारा उनका पंजीयन, सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही कर, किया जावे । यदि पंजीयक या शासन सहकारी अधिनियम में वर्णित समयावधि में या रीति से कार्यवाही नहीं करते है तो निर्धारित समयावधि के पश्चात आम सभा द्वारा पारित उपनियम या उपनियमों में संशोधन यथावत पंजीयत समझे जावेंगे ।

52. संघ के व्यवसाय, संचालन प्रबंध एवं विधान से संबंधित कोई भी विवाद संघ द्वारा अथवा विवादों, पक्षों द्वारा पंजीयक अथवा पंजीयक द्वारा मनोनीत व्यक्ति केसमक्ष प्रस्तुत किया जावेगा और ऐसे विवाद अधिनियम एवं अधिनियम के अंतर्गत नियम के अधीन होंगे ।

53. संघ द्वारा किए जाने वाले दावे एवं संघ पर किये जाने वाले दावे संघ के सचिव के नाम पर होगें।

54. संघ पर या संघ के किसी अधिकारी के विरूद्ध संघ के विधान, प्रबंध और व्यवसाय से संबंधित कोई भी दावा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बिना सूचना{नोटिस } दिये दायर नहीं किया जा सकेगा ।

55. यदि कोई विपरीत प्रावधान न किया गया हो तो जहां भी इन उपनियमो के अनुसार समान अधिकार प्रबंध संचालक, सचिव, या अन्य किसी सेवायुक्त को प्राप्त हैं तो उन अधिकारों का प्रयोग इनमें से वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा ।

56. ऐसे सभी मामले जिनका इन नियमों में विशेष रूप से उल्लेख न हो, अधिनियम एवं अधिनियम के अंतर्गत नियमों में प्रावधान के अनुसार नियंत्रित होंगे तथा उन पर निर्णय लिए जावेंगे ।

57. संघ का परिसमापन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयक के आदेश द्वारा होगा और परिसमापक की नियुक्ति एवं परिसमापन संबंधी अन्य कार्यवाहियां अधिनिमय के अंतर्गत नियम के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होगी ।

58. इन उपनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में उसे पंजीयक सहकारी सस्थायें म0प्र0 को प्रेषित किया जावेगा तथा पंजीयक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

अनुमोदित

—00—

पंजीयक
सहकारी समितियां
मध्य प्रदेश, भोपाल

13/12/04

(संग0६९)